डिगरी व मुकदमे हब्तदाई
(आ 2 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–खेरवाडा, जिला–उदयपुर (राज.) व इजलास – राकेश कुमार न्योल RAS

श्री लक्ष्मण पिता धुलेश्वर मीणा वगैरह निवासी – खोखादरा, तहसील– खेरवाडा जिला– उदयपुर (राज.)

क. स. 1 से 4 तक

बनाम

बाबुलाल पिता कमला (कमलजी) कलाल निवासी– भूत बंगलाा के पास, के.के. मोटर्स के पीछे, खेरवाडा,तहसील– खेरवाडा, जिला– उदयपुर (राज.)

क.स.1 से 3 तक

दावा– अन्तर्गत धारा 88–188 राज. भू. अधिनियम एवं धारा 136 राज. भू. अधिनियम

मुकदमा नम्बर –01/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु– हमारे

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम – मौजा मुण्डवाडा A पटवार मण्डल–खाण्डी ओबरी की आ0न0–353/0.02, 354/0.03, 355/0.12, 356/0.11, 357/0.07, 358/0.56 , 363/0.07, 364/0.08, 365/0.09, 366/0.03, 367/0.07, 368/0.12, 369/0.04, 370/0.05, 371/0.27 कुल किता– 15, रकबा 1.73 हेक्टर के एक मात्र वादीगण खातेदार घोषित किये जाते है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी न01–2 का नाम खाते से हटाया जावे। प्रतिवादी न0 1–2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है, वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी,बाधा मदाखलत व मदाहम्मत नही करे। दौराने वाद प्रतिवादीगण ने किसी भू–भाग पर कब्जा अथवा कच्चा–पक्का निर्माण कर दिया तो उक्त अवैध निर्माण का ध्वस्त कर पूर्ववत स्थिति में किया जावे। डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर पालना हैतु तहसीलदार– खेरवाडा को भेजा जावे ।

मुबलिग – –– बाबत –– खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व
शहर– –– फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलीणबी तक –
का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मूहर अदालत से आज तारीख 09 माह 01 सन् 2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

दस्तखत –
ओहदा –

मुदई रुपया पैसा	मुदायता रुपया पैसा
स्टाम्प अरजी दावा = 5:00/–	स्टाम्प अरजी वकालत नामा = 1:00/–
स्टाम्प वकालतनामा = 1:00/–	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबुत	स्टाम्प वजह सबुत
महनताना वकील (फा.)	महनताना वकील (फा.)
बाबत इजराय हुक्मनामा	बाबत इजराय हुक्मनामा
खर्चा गवाहान	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
मुतफरिक = 2:00/–	मुतफरिक
मीलान :– 8:00/–	मीजान :– = 1:00/–

Scanned with OKEN Scanner

जिला–उदयपुर(राज0)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी — **श्री राकेश कुमार न्योल** (RAS)
प्रकरण संख्या– — दायर दिनांक–02.01.2018
01/2018 रा0वा0 — निर्णय दिनांक–09.01.2024

1.श्री लक्ष्मण मीणा पिता धुलेश्वर मीणा, जाति –मीणा ।
2. श्री राजकुमार पिता धुलेश्वर मीणा, जाति –मीणा ।
3.श्री अनिल पिता धुलेश्वर मीणा, जाति –मीणा ।
4.श्री चिन्दु पिता धुलेश्वर मीणा ,जाति –मीणा ।
निवासीयान– खोखादरा, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज0) **हाल निवास** –एस–93, पंचशीलनगर, सेंट स्टीफन स्कुल रोड, अजमेर,जिला–अजमेर (राज.)।

–वादिगण–

बनाम

1.श्री बाबुलाल पिता कमला (कमलजी) कलाल।
2.श्री प्रकाश पिता कमला (कमलजी) कलाल।
जाति– कलाल निवासीयान– भूत बंगले के पास,के.के. मोटर्स के पीछे, खेरवाडा, तहसील –खेरवाडा, जिला –उदयपुर, (राजस्थान)।
3.भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत घोषणा – इन्द्राज दुरस्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–188 राज0अभि0अधिनियम एवं धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद बाबत् इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का आप न्यायालय में पेश किया गया है। वाद ठोस कानूनी आधार पर होने से वादीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। मौजा मुण्डवाडा–A पटवार सर्कल खाण्डी ओबरी (वर्तमान पटवार सर्कल– वागपुर) की जमाबंदी सवंत् 2035 से 2038 के खसरा नम्बर 1738/1150 रकबा 8बीघा लगाान–3.00 रूपया गैर खातेदारी हक से विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 पूर्वज श्री कमलाजी पिता अमरजी कलाल निवासी थोबावाडा के खते दर्ज थी। नामान्तरण संख्या 361 दिनांक 09.07.1986 को स्वीकृत का खातेदार हक दिये गये थे। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को विकय मूल्य 24,000/– अक्षरे चौबीस हजार में वादीगण को पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 12.09.1984 को विकय किया गया । विकय–पत्र उप पंजीयन कार्यालय में दिनांक 15.09.1984 को पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कृषि भूमि के केतागण द्वारा खरीद शुदा वाद वर्णित कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन पत्र पेश करने पर नामान्तरण संख्या 362 स्वीकृत किया गया। नामान्तरण स्वीकृत करने की पालना में राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में वादीगण का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया है। इसी दौरान तहसील खैरवाडा का राज्य सरकार द्वारा भू–प्रबन्ध कराया, भू–प्रबन्ध के दौरान खसरा संख्या 1738/1150 रकबा 8 बीघा के भूप्रबन्ध विभाग के तुलनात्मक पत्र के अनुसार नये हाल खसरा संख्या निम्न प्रकार बनाये गये जिसका विवरण निम्न है खसरा नम्बर 353/0.02, 354/0.03, 355/0.12, 356/0.11 ,357/0.07, 358/0.56, 363/0.07, 364/0.08, 365/0.09, 366/0.03, 367/0.07, 368/0.12, 369/0.04, 370/0.05, 371/0.27 कुल किता 15 रकबा 1.73 हैक्टर लगान 3.01 कायम किये है। भू– प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी 2041 में खातेदार काश्तकार की कॉलम में श्री कमला (कमल जी) पिता अमर जी कलाल का नाम दर्ज किया गया है । उक्त खातेदार श्री कमला (कमल जी) पिता अमर जी कलाल निवासी थोबावाडा का नाम जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 तक खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। तथा उसके निधन होने से वारिशान हक से प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का नाम नामान्तरण संख्या 119 स्वीकृत कर राजस्व रिकोर्ड की जमा बन्दी में दर्ज किया गया है। वर्तमान जमाबन्दी सवत् 2070 से 2073 में प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। साबिक आराजी नम्बर 1938/1150 रकबा 8 बीघा भूमि पूर्व में विकय–पत्र से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी ने अपने खाते दर्ज करा दी है। जो हर प्रकार से कानुनी प्रकिया के खिलाफ होने से वादीगण के हितो के विरूद्ध बेअसर एवं वॉयड है। भूप्रबन्ध के दौरान भू– अभिलेख के पूर्व के अंकन की पुनरावृती करनी होती है। भू प्रबन्ध विभाग को खाते में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन करने का अधिकार नही है। उक्त परिवर्तन या संशोधन करने से प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। उपरोक्त संशोधन वादीगण के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है। साबिक आराजी नमबर 1738/1150 रकबा 8 बीघा पर खरीद के समय से आज तक निरन्तर वादीगण स्वंतत्र रूप से काबिज चले आ रहे है । वादीगण ने उक्त भूमि को समतल कर उपयोग योग्य बनाया है तथा काफी धन राशि खर्च कर उन्नत कर कृषि योग्य बनायी है। शान्ति पूर्वक उपयोग– उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण का नाम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज होने से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने एवं उक्त संपत्ति हस्तानान्तरण या भारग्रस्त करके वादीगण के अधिकार से वंचित करने तर आमादा है। इसलिए विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का यह वाद लाया गया है।

वादीगण ने उक्त वर्णित साबिक आराजी पर खरीद के समय से अर्से–दराज से आज दिन तक स्वतन्त्र रूप से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वादीगण ने उक्त भूमि को काफी धन राशि लगा कर समतल कराकर उपयोग योग्य बनाई है तथा वादीगण ने उक्त कृषि भूमि को विकसित कर शान्तिपूर्वक उपयोग/उपभोग कर रहै है। वादीगण के स्वामित्व–आधिपत्य एंव खाते की उक्त वर्णित साबिक एंव वर्तमान आराजी की कृषि भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 अथवा उनके पूर्वाधिकारी श्री कमला (कमलजी) का कोई हक,हिस्सा, अथवा सम्बन्ध नही है । तथा पंजीकृत विकय –पत्र द्वारा समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है। उक्त आराजी पर अर्से दराज से आज तक वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर निंबाध रूप से चला आ रहा है। तथा वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है । वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण द्वारा पंजीकृत विकय–पत्र से खरीद कर मालीकाना हक व कब्जा प्राप्त किया गया है, एंव विधिवत नामान्तरकरण संख्या 362 स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में नाम दर्ज किया गया है। जिसमे वादीगण को उक्त सम्पति में संपूक्त रूप से स्वामित्व व आधिपत्य प्राप्त है। वादीगण का नाम भूप्रबन्धन (सेटलमेन्ट) की जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व नियमो की अवहेलना कर हटा कर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी का नाम भू–अभिलेख में खातेदार के रूप दर्ज किया जाना भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीयों के मन की काल्पनिक उपज है। जिसमे राजस्व रिकार्ड के खाते की जमाबन्दी के इन्द्राज दुरस्ति के जरीये प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी एंव नामान्तरकरण संख्याा 119 से वारीशान हक से प्रतिवादीगण संख्या 1–2 के नाम के बजाय वादीगण का पुनः प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि भू–प्रबंन्ध विभाग की इस त्रुटि के कारण वादीगण को भारी नुकसान पहुचा है तथा वादीगण को उक्त आराजी को उन्नत करने मे बाधा उत्पन्न हो रही है । वादीगण ने भूप्रबन्ध के इन्द्राज की स्थिति मे लाने तथा आराजी पुनः वादीगण के खाते दर्ज करने हेतु प्रतिवादी संख्या–3 राजस्थान सरकार भुमिधारी तहसीलदार–खेरवाडा को प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया, परन्तु वादीगण को सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने लिए सूचित किया गया। इसलिए वादीगण के लिए वाद घोषणा–इन्दाज दुरस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण वादीगण के स्वामित्व,अधिपत्य एंव खाते के साबिक आराजी न0 1738/1150 रकबा 8 बीघा के हाल सेटलमेन्ट के बाद नये आराजी न0 353 से 358 एंव 363 से 371 कुल किता 15 रकबा 1.73 हैक्टेयर बनाये गये है ,जिसमे सेटलमेन्ट के पूर्व की जमाबन्दी मे वादीगण के नाम पर नामान्तरण संख्या 362 स्वीकृत कर खाते मे नाम दर्ज था जो सेटलमेन्ट के दौरान तैयार की गई जमाबन्दी संवत 2041 मे वादीगण न0 1व 2 के पूर्वाधिकारी श्री कमला(कमलजी) पिता अमरजी कलाल निवासी थोबावाडा का नाम दर्ज किया गया है जिसकी वादीगण को जानकारी नही थी । हाल में दिनांक 16/07/2017 को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर जानकारी हुई है। जमाबन्दी एवं दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति प्राप्त प्रतिवादी न0 3 भूमिधारी तहसीलदार साहब खेरवाडा के समक्ष वादीगण की भूमि साबिक रिकार्ड के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी संवत 2041 से अभी तक मे गलत दर्ज होने से प्रार्थना–पत्र इन्द्राज दुरस्ती हेतु पेश किया गया। प्रतिवादी न0 3 द्वारा संक्षम न्यायालय मे वाद दायर करने के निर्देश दिया गया है वादीगणं ने प्रतिवादी न0 1 व 2 को उक्त तथ्यों एंव सेटलमेन्ट के दौरान रिकार्ड मे हुई गलती की जानकारी देकर आपसी सहमति से राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती करने के लिए पूछा गया, लेकिन प्रतिवादी न0 1 व 2 द्वारा इन्कार कर दिया गया । जिस पर वादीगण के स्वत्वाधिकारो पर आघात पर पहुचने से विरूद्ध प्रतिवादीगण उत्पन्न हुआ है तथा प्रतिदिन हो रहा है ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 व 2 की तरफ से वकील श्री मोतिलाल जोधावत, झामेश्वर मीणा व प्रकाश भणात की तरफ से वकालत नामा पेश कर दिनांक 17/7/2019 को जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण न0 1–2 ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुऐ बताया कि वाद वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार उनके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

...के जरीये पंजीकृत विकय पत्र विकय नही की गई है। एंव न ही प्रतिवादी न0 1–2 को जानकारी मे है। सन् 1984 मे प्रतिवादीगण बालिग थे एंव समझदार थे । लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पंजीकृत किये जाने का न तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को कोई जानकारी दी न ही प्रतिवादीगण न0 1–2 के पिता द्वारा अपने जीवनकाल मे वादीगण को विक्रय–पत्र के जरीये पंजीयन कराया है । वादीगण कभी भी वादग्रस्त भूमि के न तो खातेदार काश्तकार रहे है एंव न ही उन्हे प्रतिवादी न0 1–2 के पिता द्वारा बेचान कर विकय पत्र पंजीयन कराया है । महज प्रतिवादी न0 1–2 के खेरवाडा मे व्यवसाय होने से गॉव छोडकर आने से समय पर काश्त नही कर पाने एंव समय–समय पर देखरेख नही कर पाने से वादीगण के मन में बदनियती आ गई हैं एंव उक्त बाद वर्णित कृषि भूमि को हडपने की दुर्भावना से पूर्व नियोजित साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज के जरीये वादग्रस्त कृषि भूमि को हडपने की साजिशमान है। ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण के मुकाबले शुन्य प्रभावी होकर अवैध है। तथा कथित फर्जी दस्तावेज को आधार बनाकर भु–प्रबन्ध विभाग को जिम्मेदार ठहराकर किसी प्रकार की कोई दाद प्राप्त कर सके इस प्रकार की कोई दाद प्राप्त करने का वादीगण को अधिकार प्राप्त नही होते है । वादीगण द्वारा चाहा गया ऐसा कोई परिवर्तन–संशोधन प्रतिवादीगण के अधिकार के मुकाबले शुन्य एंव निष्प्रभावी होकर कानुनन वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है । वादीगण , प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि को हडपना चाहते है। न्यायहीत मे वादीगण को कोई कानुनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण के पुश्तैनी कब्जे काश्त खातेदारी की वाद वर्णित कृषि भूमि में उपयोग– उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे इस आशय के साथ वादीगण को पाबन्द किया जाना जरूरी है। अन्त मे वादीगण का वाद अवधि बाहर होने से खारीज कराने का निवेदन किया है प्रतिवादी न0 3 भूमिधारी द्वारा भी अपना जवाब दावा दिनांक 3/7/2018 के द्वारा प्रस्तुत करते हुऐ वादीगण के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। वादीगण के वाद तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावे अनुसार निम्न तनकीयात कायम की गई ।

1. वादीगण वादग्रस्त ,खसरो मे खातेदार काश्तकार घोषणा का अधिकारी है ।

–जिम्मेवादी–

2. आया वादीगण –प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

–जिम्मेवादी–

3.वादीगण का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हो रहा है जिससे यह वाद स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।

–जिम्मेप्रतिवादी–

4. वादीगण वादग्रस्त खसरो में स्वंय के नाम घोषणा एंव स्थाई निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

–जिम्मेप्रतिवादी–

वादीगण ने अपने वाद पत्र के ताईद में स्वंय वादी चिन्टु पिता धुलेश्वर मीणा व श्री रामलाल पिता हक्सी के बयान कलम बन्द कराये है तथा दस्तावेज सबूत मे जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 प्रदर्श। नामान्तरण संख्या गैरखातेदार 361 प्रदर्श 2., असल विकय पत्र प्रदर्श 3. तथा छाया प्रति प्रदर्श 3A, नामान्तरकरण संख्या 362 प्रदर्श 4. जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 4A ,तुलनात्मक– पत्र पदर्श 5,जमाबन्दी प्रदर्श 6, जमाबन्दी सवंत् 2046 से 2049 प्रदर्श 7,जमाबन्दी सवंत्2066 से 2069 प्रदर्श 8, नामान्तरकरण संख्या 119 प्रदर्श 9, जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 प्रदर्श 10, जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 10A सेटलमेन्ट की जमाबन्दी संवत 2041 प्रदर्श 11, प्रस्तुत किये है। प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद कोई दस्तावेज सबुत प्रस्तुत नही किया गया है। नही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादीगण स्वंय अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नही होने प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गई ।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता का मुख्य रूपसे कथन है कि ग्राम मुण्डवाडा के साबिक आ0न0 1738/1150 क्षेत्रफल 8 बीधा कृषि भूमि कमला पिता अमरजी कलाल निवासी– थोबावाडा के खाते की जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 मे खातेदारी हक से दर्ज थी उक्त भूमि कमला द्वारा उक्त कृषि भूमि वादीगण को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 12/09/84 के जरीये कय कर विकय –पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 362 स्वीकार किया गया । वादीगण के खाते दर्ज की गई है। लेकिन सेटलमेन्ट दौरान साबिक आ0 न0 1738/1150 के नये आ0न0 353 मे 358,363 से 371 कुल किता 15 रकबा 1.73 हैक्टर बनाये गये ।जमाबन्दी संवत 2041 मे वर्तमान खसरा की कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार कमला पिता अमरजी कलाल के खाते दर्ज कर दिया गया है जो प्रतिवादी न0 1–2 के पूर्वाधिकारी कमला कलाल के खाते जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 तक दर्ज था। खातेदार कमला के निधन होने पर नामान्तरकरण संख्या 119 स्वीकृत कर प्रतिवादी संख्या 1–2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज

खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दौरान गलत इन्द्राज कर दिया गया है जो गलत है। वादीगण जरिये इन्द्राज दुरस्ती उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है । वाद वर्णित भूमि पर वादीगण 1984 से आज तक निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है जिससे प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी अथवा मदाखलत करने का अधिकार नही होने से वादीगण के खाते भूमि दर्ज की जावे। वादीगण के कब्जे काश्त मे तथा उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने के लिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर पाबन्द किया जाने की डिकी पारित की जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । प्रतिवादीगण व उनके उनके अधिवक्ता द्वारा उक्त मामले में जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नही की है न ही **विधिवत चारा जोही** की है। ऐसी स्थिति में **तनकीयात** अनुसार निर्णय नही लिखा गया। वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेज तथा साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद पूर्ण रूप से साबित होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिकी किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद डिकी किया जाता है कि मौजा मुण्डवाडा A पटवार मण्डल–खाण्डी ओबरी की आ0न0–353/0.02, 354/0.03, 355/0.12, 356/0.11, 357/0.07, 358/0.56 , 363/0.07, 364/0.08, 365/0.09, 366/0.03, 367/0.07, 368/0.12, 369/0.04, 370/0.05, 371/0.27 कुल किता– 15, रकबा 1.73 हेक्टर के एक मात्र वादीगण खातेदार घोषित किये जाते है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी न01–2 का नाम खाते से हटाया जावे। प्रतिवादी न0 1–2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है, वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी,बाधा मदाखलत व मदाहम्मत नही करे। दौराने वाद प्रतिवादीगण ने किसी भू–भाग पर कब्जा अथवा कच्चा–पक्का निर्माण कर दिया तो उक्त अवैध निर्माण का ध्वस्त कर पूर्ववत स्थिति में किया जावे। डिकी पर्चा अलग से जारी होकर पालना हैतु तहसीलदार– खेरवाडा को भेजा जावे । उभयपक्ष खर्चा अपना–अपना वहन करे। निर्णय मेरे द्वारा लिख जाकर खुले न्यायालय आज दिनांक 09.01.2024 को सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जिला – उदयपुर (राज0)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner